BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 21 जून, 2022 थाना स्याना

एक जिला बदर/टॉप-10 अपराधी गिरफ्तार।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 21.06.2022 को प्रातः थाना स्याना पुलिस द्वारा अभिसूचना के आधार पर एक जिला बदर/टॉप-10 अपराधी सागर को बीबीनगर रोड़ अरोमा होटल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सागर थाना स्याना का टॉप-10 अपराधी भी है जिसको दिनांक 25.05.2022 को मा0 न्यायालय, अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व बुलन्दशहर द्वारा 06 माह के लिए जनपद बुलन्दशहर की सीमा से निष्कासित किया गया था, परन्तु अभियुक्त सागर आस-पास क्षेत्र में छिपकर रह रहा था। अभियुक्त सागर के विरूद्ध थाना स्याना पर मुअसं-194/22 धारा 10/11 उ0प्र0 गुण्डा एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1- सागर पुत्र ब्रहमजीत निवासी ग्राम करौठी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त सागर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 22/15 धारा 323/393 भादवि थाना स्याना बुलन्दशहर
2. मु0अ0सं0 24/15 धारा 392/411 भादवि थाना स्याना बुलन्दशहर
3. मु0अ0सं0 25/15 धारा 414 भादवि थाना स्याना बुलन्दशहर
4. मु0अ0सं0 26/15 धारा 25 आर्मस एक्ट थाना स्याना बुलन्दशहर
5. मु0अ0सं0 130/15 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना स्याना बुलन्दशहर
6. मु0अ0सं0 407/17 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना स्याना बुलन्दशहर
7. मु0अ0सं0 346/18 धारा 341/323/506 भादवि थाना स्याना बुलन्दशहर
8. मु0अ0सं0 395/18 धारा 279/337/427/323 भादवि थाना स्याना बुलन्दशहर
9. मु0अ0सं0 384/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना स्याना बुलन्दशहर
10. मु0अ0सं0 194/22 धारा 10/11 गुण्डा नियंत्रण अधि0 थाना स्याना बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना
2. अन्य कर्मचारीगण।

मीडिया सैल, बुलन्दशहर